संख्या– 568/69-1-2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 01 जुलाई, 2019

विषयः–<u>प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अन्तर्गत माह जून, 2019 तक प्रदेश में कुल 11,10,520 आवास स्वीकृत हैं। स्वीकृत आवासों के सापेक्ष अभी तक मात्र प्रथम चरण का 4,81,344 आवासों का जिओ टैग हुआ है, जिसके सापेक्ष केवल 3,24,844 लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार 1,56,500 लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना अधिकारियों द्वारा 1,56,500 लाभार्थियों का पीपीए जनरेट कर सूडा मुख्यालय नहीं भेजा गया है, जो जनपद स्तर पर ही लम्बित है।

2. इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अनुक्रम में प्रथम किश्त अवमुक्त किये गये 3,24,844 लाभार्थियों में से 2,17,779 को द्वितीय किश्त अवमुक्त हुई है एवं द्वितीय किश्त अवमुक्त किये गये 2,17,779 में से 60,827 लाभार्थियों को ही तृतीय किश्त अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्रथम किश्त के सापेक्ष द्वितीय किश्त तथा द्वितीय किश्त के सापेक्ष तृतीय किश्त की अवमुक्त धनराशि में काफी अन्तर है।

3. विषयगत् योजना के सम्बन्ध में यह तथ्य शासन के संज्ञान में आया है कि चयनित लाभार्थियों की जनपद स्तर पर कई चरणों में जाँच करायी जा रही है, यथा–डीपीआर स्वीकृति से पूर्व, डीपीआर स्वीकृति के पश्चात् प्रथम किश्त से पूर्व, प्रथम किश्त के पश्चात् द्वितीय किश्त से पूर्व तथा द्वितीय किश्त के पश्चात् तृतीय किश्त से पूर्व। इस प्रकार बार–बार पृथक–पृथक माध्यमों/स्तरों से पात्रता की जाँच कराने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को प्रत्येक चरण की धनराशि अवमुक्त करने में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं इससे योजना की प्रगति प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही कई बार विभिन्न माध्यमों से पात्रता की जाँच कराये जाने से

योजना गाइड लाइन्स/नियमों के परिप्रेक्ष्य में पात्रता के मानकों की पूर्ण जनकारी के अभाव में लाभार्थियों की पात्रता में परिवर्तन/भिन्नता हो जाती है।

4. उपरोक्त पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पात्र लाभार्थियों के आवेदन पत्रों की शत–प्रतिशत जाँच कराने के उपरान्त ही डीपीआर तैयार करायी जाये, ताकि किसी अपात्र व्यक्ति का आवास स्वीकृत न हो। यदि किसी पात्र लाभार्थी के सम्बन्ध में कोई पुष्ट साक्ष्य सहित कोई शिकायत मिलती है, तो उस लाभार्थी की सम्यक जाँच कराने के उपरान्त ही अग्रेत्तर किश्त अवमुक्त की जाये अथवा लाभार्थी के विरूद्ध विधिसम्मत वसूली की कार्यवाही की जाये। जाँच टीम में स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी के साथ संस्था का प्रतिनिधि एवं जिलाधिकारी जिस विभाग/अधिकारी से जाँच कराना चाहे, भी अवश्य शामिल किए जाए।

5. योजना की गाइड लाइन्स के अधीन लाभार्थियों की पात्रता के मानक निम्नवत् हैं:–

i) लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/अथवा अविवाहित पुत्रियाँ शामिल होगें।

ii) लाभार्थी परिवार के पास या तो उसके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कहीं भी पक्का मकान (सभी मौसमों हेतु क्षम रिहायशी इकाईयां) नहीं होनी चाहिए।

iii) किसी वयस्क कमाऊ सदस्य (वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग परिवार के रूप में समझा जा सकता है:

- बशर्ते कि उसके पास कहीं भी अपने नाम पर एक पक्का घर (सभी मौसमों हेतु क्षम रिहायशी इकाई) नहीं हो।
- यह भी बशर्ते कि किसी विवाहित दंपत्ति के मामले में, पति/पत्नी में से कोई एक अथवा दोनों के संयुक्त स्वामित्व में केवल एक आवास पाने के पात्र होंगे, वह भी तब जब इस स्कीम के तहत परिवार की आय की पात्रता हो।

iv) इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति को 21 वर्ग मी0 से कम निर्मित क्षेत्र वाले पक्के मकान को 30 वर्ग मी0 की मौजूदा रिहायशी इकाई में संवर्धित करने हेतु शामिल किया जा सकता है। तथापि, यदि भूमि/स्थान की उपलब्धता के अभाव अथवा किसी अन्य कारण से संवर्धन संभव न हो पाए, तो वह पीएमएवाई(यू) के अन्तर्गत कहीं और मकान प्राप्त कर सकता है।

जाँच टीम के प्रत्येक सदस्य को उपरोक्त शर्तों से अवश्य अवगत कराया जाये, जिससे किसी अपात्र को योजना का लाभ न मिल सके तथा कोई पात्र योजना के लाभ से वंचित न रह जाये।

6. यह अनिवार्य होगा कि डीपीआर स्वीकृति के पश्चात् एन्ट्री एवं अटैचमेन्ट आदि की कार्यवाही पूर्ण कर जिओ टैग कराते हुए पीपीए जनरेट कर हायर एजेन्सी को भेजा जाना

सुनिश्चित किया जाये एवं प्रथम किश्त भुगतान के एक माह के भीतर प्लिन्थ लेवल तक कार्य पूर्ण होने की दशा में जिओ टैग करते हुए द्वितीय किश्त हेतु पीपीए जनरेट कर हायर एजेन्सी भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा की दशा में सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, सीएलटीसी इंजीनियर एवं संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

7. शासन के संज्ञान में योजना के क्रियान्वयन में कतिपय जनपदों में अवैध रूप से धन उगाही की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिससे विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है।

8. उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पीएमसी संस्था द्वारा नियुक्त किये गये प्रत्येक कर्मी को परियोजना अधिकारी एवं परियोजना निदेशक (ए0डी0एम0/नगर आयुक्त) के हस्ताक्षर से आई कार्ड जारी किये जायेगें। संस्था का कोई भी कर्मी बिना आई कार्ड लगाये फील्ड में नहीं जायेगा। जब किसी कर्मी द्वारा कार्य छोड़ा जाता है या कार्यमुक्त किया जाता है, तो परियोजना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसका आई कार्ड वापिस ले लिया गया है। यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति परियोजना पर कार्य करते पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

9. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कार्यवाही एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही एक माह में युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए स्वीकृत 1110520 आवासों के सापेक्ष शत–प्रतिशत जिओ टैगिंग करना सुनिश्चित करें। जिओ टैग के सापेक्ष शत–प्रतिशत लाभार्थियों के पीपीए जनरेट करने हेतु परियोजना अधिकारी, डूडा पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

भवदीय

1.7.19.

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. संयुक्त सचिव (हाऊसिंग फार आल), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।

11. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. निदेशक (हाऊसिंग फार आल निदेशालय), भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
15. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
16. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
17. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
18. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
19. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
20. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
22. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
23. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
24. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।
25. परियोजना अधिकारी, समस्त जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), उत्तर प्रदेश।।
26. समस्त डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट्स, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(अखिलानन्द ब्रहमचारी)
अनु सचिव